

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक प.7(8)प्र.सु./अनु-4/08 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 24.01.2020

सचिव,
राजस्थान लोक सेवा आयोग,
अजमेर।

✓ जिला कलक्टर,
झुन्डुनू।

विषय:- अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग में नॉन-क्रीमिलेयर के प्रमाण-पत्र के संदर्भ में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं जिला कलेक्टर, झुन्डुनू को प्रेषित इस विभाग के समसंख्यक पत्र क्रमशः दिनांक 02.05.19 एवं 15.11.19 का प्रसंग ग्रहण करें, जिनमें अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के नॉन-क्रीमिलेयर प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में मार्गदर्शन चाहे जाने पर प्रासंगिक पत्रों द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि नॉन-क्रीमिलेयर प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सेवाओं का वर्गीकरण वेतनमान के आधार पर न किया जाकर राज्य सेवाओं एवं अधीनस्थ सेवाओं के आधार पर ही रखा जाना है।

उक्त विषय का राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन पदों और सेवाओं में नियुक्तियों में आरक्षण) अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के प्रकाश में पुनः परीक्षण किया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन-क्रीमिलेयर के प्रमाण-पत्र बनाने के सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक: एफ: 9(26)/कार्मिक/क-5/95 दिनांक 23.10.2001 जारी किया गया था। उपर्युक्त सदरित पत्रों के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्याथियों को नॉन-क्रीमिलेयर में प्रमाण-पत्र जारी करते समय परिपत्र दिनांक 23.10.2001 (प्रति संलग्न) में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जावे अर्थात् जहाँ केवल माता या पिता शीघी भर्ती द्वारा श्रेणी-11 (अधीनस्थ सेवाएँ) {पुराना वेतनमान 11 से 12A तक}(ग्रेड-पे 4800/- तक) एवं नवीन वेतनमान में पे-लेवल 12 तक} में भर्ती हुए हैं तथा 40 वर्ष की आयु या इससे पूर्व श्रेणी-1 (राज्य सेवाएँ) {ग्रेड-पे 5400 से 10000/- तक} एवं नवीन वेतनमान में पे-लेवल 13 से 24



तक) में पदोन्नत नहीं हुए हैं, तो उनकी संतानों को नॉन-क्रीमिलेयर श्रेणी में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

भवदीय


(जय सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शासन | उप सचिव